# *छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*

*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*<u>अपील प्रकरण कमांक 901/2007</u>*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **श्री ललित चन्द्रनाहू,**<br>**स्टेशन मार्ग,**<br>**महासमुंद (छत्तीसगढ़)** | – | *अपीलार्थी* |

**विरूद्ध**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ***जन सूचना अधिकारी,***<br>**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**<br>**जनपद पंचायत,**<br>**महासमुंद (छत्तीसगढ़)** | – | *प्रति अपीलार्थी* |

## *//<u>आदेश</u>//*
## *(दिनांक 17 मार्च, 2008)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ललित चन्द्रनाहू द्वारा दिनांक 04.12.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था । सरपंच, ग्राम पंचायत, बनपचरी ने आयोग के एक अन्य प्रकरण कमांक–229/2007 में सूचना प्रदाय करने के आदेश दिनांक 12.09.2006 के बाद भी जानकारी नही दिये जाने के कारण उनके द्वारा जिला पंचायत, महासमुंद के यहॉं भी प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उनके आदेश के बाद भी जानकारी नही मिलने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 19.01.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, महासमुंद एवं सचिव, ग्राम पंचायत, बनपचरी दोनों को दस–दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 21.02.2008 को प्रस्तुत किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने बताया कि संबंधित अभिलेख के अवलोकन के लिए अपीलार्थी को बुलाया गया, किन्तु वे उपस्थित नही हुये और अब समस्त जानकारी दिनांक 29.12.2007/13.02.2008 के पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है, जिसकी पावती भी संलग्न की गई है । प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दिनांक 16.04.2007 को आयोग को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के उपस्थित नही होने एवं जानकारी नही देने का उल्लेख कर कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है । इस

संबंध में वे स्वत: दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर सकते थे । प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को बुलाने पर भी वे अभिलेख का अवलोकन करने के लिए उपस्थित नही हुये, चूंकि प्रकरण में अब जानकारी प्रदाय की जा चुकी है इसलिए किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, अत: जारी दोनों कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस संबंध में वे पूर्ण जांच कर संतुष्ट हो और विलंब के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं सचिव, ग्राम पंचायत, बनपचरी जिसे भी दोषी पाये, उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत की जाती है । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से अपीलार्थी को राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त